वित्त निर्देश 35/2010

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 288/162/10/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- **छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत् पदोन्नति पर वेतन नियतन ।**

lanHk%&1- foRr foHkkx dh vf/klwpuk dzekad 70@162@foRRk@fu;e@pkj@2009 fnukad 23-03-2009

2- foRRk foHkkx dk Kkiu dz- 122@174@foRr@fu;e@pkj fnukd 10-05-2010 A

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 70/162/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 23.03.2009 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये दिनांक 1 जनवरी 2006 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 द्वारा नवीन वेतन संरचना लागू किया गया है । उक्त वेतन संरचना में वेतनमान के स्थान पर वेतनबेंड एवं ग्रेड वेतन का प्रावधान रखा गया है । पुनरीक्षित वेतन संरचना में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 13 के अनुसार किया जाता है । जिसके अन्तर्गत एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति के मामले में वेतन निर्धारण हेतु वेतन बेंड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग में 3 प्रतिशत के समान राशि परिगणित कर उसे 10 के आगामी पूर्णांक से पूर्णांकित किया जाकर इस राशि को वेतनबेंड में वर्तमान वेतन के साथ जोड़ा जाएगा, इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नति पद का तस्थानी ग्रेड वेतन स्वीकृत किया जाएगा । इससे स्पष्ट है कि नियम 13 के प्रावधान केवल एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति के प्रकरणों में ही लागू होगा ।

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 10.05.2010 में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय सेवक को लागू भर्ती एवं पदोन्नति नियम के अन्तर्गत जहां शासकीय सेवक ऐसे उच्च कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नत किया जाता है, जिसका

वेतनमान निम्न पद के वेतनमान के समरूप है और पदोन्नति पद के साथ विशेष वेतन नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसे मामलों में, नियुक्ति अथवा पदोन्नति पर शासकीय सेवक को मूल नियम 22 डी (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की पात्रता होगी ।

राज्य शासन द्वारा के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जहां छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक की पदोन्नति उस पर लागू भर्ती एवं पदोन्नति नियम के अन्तर्गत ऐसे उच्च कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के पद पर होती है जिसका ग्रेड वेतन निम्न पद के ग्रेड वेतन के समान है और पदोन्नति के पद के साथ विशेष वेतन नहीं जुड़ा हुआ है, वहां शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 की कंडिका 13 के प्रावधानों के अनुसार कैसे किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के कंडिका 13 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा लेकिन ऐसे वेतन निर्धारण के फलस्वरूप केवल वेतन बैंड में वेतन परिवर्तित होगा, ग्रेड वेतन एवं वेतन बैंड यथावत रहेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 289/162/10/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2010

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग